

**मांग संख्या 13**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1**

प्रदेश के दलहन एवं तिलहन बीज उत्पादक कृषकों को उत्पादन अनुदान दिये जाने हेतु रूपये 62.50 लाख व्यय संभावित है। यह विभागीय बचत से किया जायेगा। यह नवीन मद है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी के भवन निर्माण हेतु रूपये 24.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 24,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

कृषि यंत्र हस्तचलित एवं बैल चलित यंत्रों पर 25 प्रतिशत अनुदान हेतु राशि रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है। यह विभागीय बचत से किया जायेगा। यह नवीन मद है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

केन्द्र क्षेत्रीय योजनान्तर्गत नवविकसित यंत्रों/उपकरणों के क्रय तथा उनके जीवंत प्रदर्शन हेतु रूपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत राज्यांश राशि हेतु रूपये 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

गन्ना उत्पादक कृषकों को 15 रूपये प्रति किंवंटल की दर से बोनस दिये जाने हेतु रूपये 250.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2402**

**मद क्रमांक 7 से 24**

दुर्ग एवं अंबिकापुर सहायक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना पर आवर्ती/ अनावर्ती हेतु व्यय रूपये 26.33 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 26,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।